

| | | |
|-----------------------|--|---|
| <p>तारीख हुकम</p> | <p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> | <p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p> |
|-----------------------|--|---|

03 2
2020

पत्रावली पेश हुई। आधिकारिता प्राचीन उपस्थित।
 आधिकारिता अधिष्ठाता द्वारा उपस्थित। आधिकारिता
 प्राचीन द्वारा प्राचीन से No Instruction
 होना समझ करे हुए बख्त करने से मना
 किया गया। प्राचीन के बार-बार आवान
 लगवाए जाते हैं किन्तु प्राचीन उपस्थित नहीं
 हुए। ऐसी स्थिति में प्राचीन भगवान
 सहाय पुत्र गुरुठल एवं भगतू पुत्र रामजीबल
 जाहि माली निवासी ग्राम अन्धापुरा (हडिया)
 तहसील मधवा जिला दोसा द्वारा धारा 3 जी (ड)
 नेशनल हाइवे एक्ट 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत
 प्राचीन पत्र प्राचीन की अडम हाजरी एवं
 आधिकारिता प्राचीन की अडम पेशी में
 खारिज किया जा रहा है पत्रावली केसल शुमार
 की जाकर नम्बर से कम की जावे एवं बाद
 पूर्ण प्रविष्ट लेख गण्डार हो। त्रितीय आज
 दिनांक 03-2-2020 को मेरे द्वारा बुलेन्यापारक
 में सुनाया गया।

No Instruction
 3-2-20

(A)
 जिला कलेक्टर
 दोसा

